न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 10/2021 जिला अलवर

1. सुभाष पुत्र मातादीन शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम शामदा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, हाल निवास–जयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत शामदा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर जरिये सरपंच।
2. धर्मपाल पुत्र फुलसिंह, जाति जाट, निवासी–टीबा वाली ढाणी तन शामदा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
3. द्वारकाप्रसाद पुत्र मातादीन, जाति ब्राहमण, निवासी–शामदा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
4. कैलाश पुत्र मातादीन, जाति ब्राहमण, निवासी शामदा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
5. दीपक पुत्र मदन, जाति ब्राहमण, निवासी शामदा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
6. अमित पुत्र मदन, जाति ब्राहमण, निवासी शामदा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर, जिला अलवर दिनांक 25.05.2016

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. श्री चन्द्रशेखर दाधीच, वकील अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. श्री गोगराज चौधरी, वकील रेस्पो.नं. 2
4. श्री हरिनारायण चौधरी, वकील रेस्पो. नं. 3 लगा. 6 उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक –29.09.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 25.05.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि इन्तकाल नं. 2479 वाके, ग्राम शामदा दिनांक 5.7.2008 को सरपंच ग्राम पंचायत शामदा द्वारा स्वीकृत कर धर्मपाल पुत्र फूलसिंह के नाम कर दिया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 2479 दिनांक 05.07.2008 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर के समक्ष दिनांक 20.08.2008 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी थी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 द्वारा अपील अस्वीकार की जाकर न्यायालय की आदेशिका का निर्णय दिनांक 12.06.2015 को अपास्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 2479/05.7.2008 पर ग्राम पंचायत शामदा द्वारा दिनांक दिनांक 5.7.2008 को पारित निर्णय का यथावत रखते हुए उसकी पुष्टि किये जाने के आदेश पारित किये गये।

Scanned by CamScanner

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान; पुराने खसरा नम्बर 132 14 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 142 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रबा 23 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम शामदा, तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी, हाल अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा. 6 के पिता/दादा स्व. मातादीन पुत्र भयोनारायण ब्राहमण निवासी शामदा की तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी थी। जिसकी पुष्टि नकल जमाबंदी संवत 2011 व नकल खसरा गिरदावरी व मिलान क्षेत्रफल से होती है। उक्त वर्णित आराजी में संवत 2015 की जमाबंदी में हनुमान व विशम्भर ने राजस्व कर्मचारियों से अनुचित सांठ गांठ करके अपना नाम भी वादग्रस्त आराजी में गलत तरीके से दर्ज करवा लिया। चूंकि वादग्रस्त आराजी अकेले मातादीन पुत्र भयोनारायण के कब्जे काश्त व अधिकार में थी। जिस पर आरम्भ में मातादीन पुत्र भयोनारायण अकेले स्वंय काबिज रहे एवं उनकी मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त आराजी पर मातादीन के पुत्रान काबिज काश्त करते रहे। जून 2004 में उक्त फर्जीवाडे की जानकारी होने पर एवं दिनांक 25.09.2004 को हनुमान व विशम्भर द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने से साफ इन्कार करने पर वादी ने सुदृढ आधारों पर एक राजस्व वाद पत्र संख्या 175/2004 बावत घोषणा ईश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड, हुक्म इम्तनाई हेतु अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 काश्तकारी अधि. के तहत सक्षम विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उक्त वाद पत्र संख्या 175/2004 के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 139/2004 में अंतरिम आदेश वादग्रस्त आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत जारी हुआ था। जो कि दिनांक 20.05.2006 को दोनों पक्षों की सहमति से कन्फर्म भी कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा सहमति के आदेश दिनांक 20.05.2006 के विरूद्ध प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष 10 माह के विलम्ब बाद पेश की। जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी अलवर ने दिनांक 21.08.2007 को अवैध तरीके से स्वीकार कर ली। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित आदेश आदेश दिनांक 21.08.2007 के विरूद्ध हाल अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 7875/2007 प्रस्तुत की जिसे दिनांक 23.08.2007 को एडमिट किया गया तथा स्थगन बाबत आदेश पारित किया गया कि भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 21.08.2007 में वर्णित वादग्रस्त आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति नियत दिनांक 21.11.2007 तक रखी जावे। उक्त स्थगन आदेश की समुचित पालनार्थ, स्थगन आदेश की प्रतिलिपि, अपीलान्ट द्वारा तत्काल दिनांक 24.08.2007 को ही अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, तहसीदार मुण्डावर हल्का पटवारी मुण्डावर को सुपुर्द कर दी गई थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि हाल अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी संख्या 7875/2007 में तारीख पेशीयां दिनांक 22.10.2008 तक पडती रही अर्थात मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत दिनांक 23.08.2007 को जारी स्टे आदेश दिनांक, 22.10.2008 तक प्रभावी रहा है। उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी पटवारी हल्का को होने के बावजूद भी एवं पक्षकारों के समक्ष नियमित वाद व अपीले विचाराधीन होने एवं माननीय राजस्व मण्डल का वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके व रिकार्ड का स्थगन आदेश जारी एवं प्रभावी होने की जानकारी में होने के बावजूद भी वादग्रस्त आराजी 1/3 हिस्से के संबंध में अवैध तरीके से करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 22.08.2007 जिसके वाद विचाराधीन रहने का नोट अंकित होने के बावजूद भी, हल्का पटवारी, केता धर्मपाल व ग्राम पंचायत शामदा के तत्कालीन सरपंच ने आपस मे मिली भगत करके, नामान्तरकरण संख्या 2479 दिनांक 05.07.2008 को तस्दीक कर दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल का स्टे आदेश प्रभावी होने के दौरान खोले गये उक्त आरम्भ से ही शून्य, नामान्तरकरण संख्या 2479 दिनांक 05.07.2008 के विरूद्ध सुदृढ आधारों पर प्रथम अपील माननीय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष नकल प्राप्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

होते ही यथाशीध्र प्रस्तुत कर दी गई। तत्पश्चात दिनांक 12.06.2015 को अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनकर एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेकर प्रकरण में अपना विनिश्चय पारित करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार करके अधिनस्थ ग्राम पंचायत शामदा द्वारा पारित विवादित नामान्तकरण संख्या 2479 दिनांक 05.07.2008 को अपास्त कर दिया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को फैसलशुमार करने के बाद, अवैधानिक तरीके से उक्त पत्रावली को पुनः बढाते हुए अवैध तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने का कथन आदेशिका में करके प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 17.08.2015 नियत कर दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई उक्त प्रकिया पूर्णतया विधि विरूद्ध है। कानूनन एक बार आदेश लिखवा दिये जाने के बाद तथा पत्रावली को फैसलशुमार करने के बाद, अधिनस्थ न्यायालय को अपनी आदेशिका बदलने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त विधिक प्रावधानों की धज्जियां उडाते हुए बैखौफ होकर अपनी ही आदेशिका को अवैध तरीके से बदल दिया। अपीलान्ट ने एक मुंतकिली प्रार्थना पत्र संख्या 4032/2016 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 01.06.2016 को पेश किया। जिस पर उसी दिन सुनवाई हुई और माननीय राजस्व मण्डल ने उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2008 की कार्यवाही मण्डल में नियत पेशी तक स्थगित रखने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश दिनांक 01.06.20016 को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश की प्रति दिनांक 03.06.2016 को हाल अपीलान्ट, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के कार्यालय में गया तो वहां मौजूद कर्मचारी ने डाक लेने से मना कर दिया। पीठासीन अधिकारी को जरिये फैक्स/ईमेल दिनांक 03.06.2016 को किया गया इसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 06.06.2016 को बैक डेट 25.05.2016 मे ही उक्त पत्रावली संख्या 15/2008 में मनमाना, अवैध, क्षेत्राधिकारिता विहिन, आक्षेपित आदेश पारित कर दिया, जो निरस्तनीय है और अपील स्वीकार करने में अहम कानूनी गलती की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत शामदा द्वारा पारित विवादित नामान्तकरण संख्या 2479 दिनांक 05.07.2008 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर को निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि विक्रय किये जाने व तस्दीक किये जाने के दिन कोई स्थगन नहीं था। न ही ऐसा कोई स्थगन आदेश तहसील, पंचायत, पटवारी के पास था। रजिस्टर्ड बैचान नामा है। क्रेता–विक्रेता का मौके पर कब्जा रहा है व आज दिन भी क्रेता का कब्जा काश्त है। जिसकी पुष्टि पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। अपीलांट की ओर से एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में 175/04 उनवानी सुभाष बनाम पुरूषोत्तम किया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 21.06.2008 को हो चुका है। यह दावा अपीलान्ट द्वारा आराजी मुतनाजा में घोषणात्मक पेश किया गया था जो अपीलांट का दावा ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत खारीज कर दिया गया। पुरूषोत्तम ने धर्मपाल, रेस्पों. संख्या 2 को विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 22.08.07 को जिसके द्वारा विशम्भर के पुत्र पुरूषोत्तम ने अपना 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 धर्मपाल को बेचान किया है जिसका नं. 2479 दिनांक 05.07.2008 से रिकॉर्ड में अमल हुआ है। यह विवादित नामान्तकरण है। इकरारनामा दिनांक 22.12.12 जो खुद अपीलांट द्वारा आराजी मुतनाजा के बेचान बाबत निष्पादित किया गया है। जो यह साबित करता है कि आराजी मुतनाजा पर कोई स्थगन नहीं है। नकल जमाबन्दी की संवत 2086–89 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 2735/31.08.10 रेस्पोडेन्ट सेंख्या 2 के रहन दर्ज होने का नामान्तकरण स्वीकार हुआ है। शुद्धि पत्र संख्या 12/19.04.2012 द्वारा खाते में तहसीलदार द्वारा दुरूस्त कर मातादीन, हनुमान के पिता का नाम श्योनारायण दर्ज किया गया है। नामा.सं. 3064 से मातादीन की विरासत उसके वारिसान अपीलांट वगैरह के नाम दर्ज हुई है। ना.सं. 3083/30.1.13, 3113/22.4.13 भी दर्ज तस्दीक हुआ है। जिससे साबित है कि

Scanned by CamScanner

आराजी मुतनाजा पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर में दायर अपील संख्या 27/2008 सुभाष बनाम पुरूषोत्तम की आदेशिका दिनांक 24.07.2008 पेश की गई जो नामान्तकरण के निर्णय के बाद की है। यह अपील अपीलांट द्वारा आर्डर 7 नियम 11 के निर्णय के विरूद्ध की गई है। न्यायालय राजस्व मण्डल की निगरानी अलवर/7875/2007/सुभाष बनाम पुरूषोत्तम में अपीलांट सुभाष की निगरानी मूल वाद खारिज हो जाने से निगरानी खारीज कर दी गई। अपीलांट द्वारा न ही तो अपने अपील मीमों में अंकित किया है कि रेस्पोडेटान ने किस न्यायालय के किस आदेश का उल्लंघन किया है, न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। अपीलांट को चाहिए था कि अपने तथ्य स्पष्ट तौर पर अपील मीमों में कहकर आता न कि अन्धेरे में तीर चलाता। वस्तुतः वाद में आराजी मुतनाजा ख.नं. 269 श्योनारायण की खातेदारी की थी। श्योनारायण के वारिस मातादीन, हनुमान व विशम्भर, विक्रेता के पूर्वज है। जमाबंदी संवत 2029 में सम्पूर्ण आराजी मातादीन, हनुमान, विशम्भर पिता श्योनारायण के नाम दर्ज है। इसके पूर्वज भी इनके नाम दर्ज रही है, जिससे साबित है कि आराजी मुतनाजा पक्षकारान की पैतृक भूमि रही है। विशम्भर का पुत्र पुरूषोत्तम है। पुरूषोत्तम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेचान किया है। जिसका विवाद है। जिससे साबित है कि विक्रेता गत 50 वर्षों से रिकार्डेड काबिज काश्तकार है। अपीलांट के पिता मातादीन ने भी आराजी मुतनाजा बाबत एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के यहॉ दावा संख्या 586/91 उनवानी मातादीन बनाम विशम्भर किया था जो दिनांक 15.12.1993 को खारीज हो गया। इससे पूर्व मातादीन बनाम विशम्भर सहायक कलक्टर किशनगढबास में दावा दायर करने पर दिनांक 24.09.1986 को खारीज हो गया। रेस्पोडेन्ट का विक्रेता विशम्भर संवत 2020 के पूर्व का रिकार्डेड खातेदार है। उसके बाद संवत 2029 में बन्दोबस्त भी हुआ है। आराजी श्योनारायण से विशम्भर को, विशम्भर से पुरूषोत्तम को , पुरूषोत्तम से धर्मपाल को ;बेचान/रेस्पोडेन्टस के नाम आई है। सबसे महत्वपूर्ण मौके पर कदीमी रास्ता काश्त है। अतः केवल नामान्तकरण के आधार पर इतने लम्बे से विधिक रूप से दर्ज नाम को नहीं हटाया जा सकता। न ही ऐसा कोई विधिक आधार है। अपीलांट के अनुतोष नियमित वाद के माध्यम से ही मिल सकता है न कि नामान्तकरण अपील के माध्यम से। प्रश्नगत नामान्तकरण की अपील को दिनांक 12.6.15 को लोक अदालत कैम्प में अपील किया गया था लेकिन हम रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर उसी आदेशिका में पुनः सुनवाई हेतु रख लिया गया था। अर्थात पुनरोवलोकनार्थ ग्रहण कर लिया गया था। अपीलांट को अनुतोष नियमित वाद से मिल सकता है। अपीलान्ट को कोई हक अधिकार सिद्ध करने है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके अपने हक हकूक निर्धारित करवाने चाहिए। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 25.05.2016 के द्वारा अपील खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जो कि पूर्णतया विधि अनुसार है। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद वस्तुतः वाद में आराजी विवादित भूमि ख.नं. 269/5.6.89 श्योनारायण के वारिस मातादीन अपीलांट के पूर्वज हनुमान व विशम्भर विक्रेता के पूर्वज है। जमाबंदी संवत 2029 में सम्पूर्ण आराजी मातादीन, हनुमान, विशम्भर पिता श्योनारायण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि इनके पूर्वज के नाम दर्ज रही है, जिससे साबित है कि आराजी भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि रही है। विशम्भर का पुत्र पुरूषोत्तम है। पुरूषोत्तम ने धर्मपाल, रेस्पों. संख्या 2 को विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 22.08.07 को अपना 1/3 हिस्सा बेचान किया है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 2479 दिनांक 05.07.2008 से सरपंच ग्राम पंचायत शामदा द्वारा स्वीकृत किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर ने अपने आदेश दिनांक 25.05.2016 में नामान्तकरण संख्या 2479 दिनांक 05.07.2008 के संबंध में विवेचन

Scanned by CamScanner

किया है कि अपीलांट को अनुतोष नियमित वाद से ही मिल सकता है। जिसकी अपील विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में कदीमी रिकॉर्डेड खातेदार या उसके प्रति स्थापन को समरी प्रक्रिया/नामान्तरकरण के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता है। विधिक प्रावधानों के अनुसार ही नामान्तकरण को स्वीकार करने में कोई अनियमितता प्रमाणित नहीं होती है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी पुरूषोत्तम की खातेदारी की भूमि थी। विवादित भूमि का पुरूषोत्तम निर्विवाद खातेदार था तथा पुरूषोत्तम पुत्र विशम्भर ने अपने हिस्से की भूमि का 1/3 हिस्सा धर्मपाल, रेस्पों. संख्या 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 22.08.07 को बेचान किया गया है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 2479 दिनांक 05.07.2008 से सरपंच ग्राम पंचायत शामदा द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है। अपीलांट को अनुतोष नियमित वाद से मिल सकता है। जिसकी अपील विचाराधीन है। नामान्तरकरण एक fiscal proceeding है जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण को नियमित वाद के निर्णय तक लम्बित नहीं रखा जा सकता है। ग्राम पंचायत शामदा द्वारा स्थगन आदेश होने बाद भी नामान्तकरण भरा गया है, तो अपीलांट को सम्बन्धित के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संबंधित न्यायालय में करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2016 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 25.05.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner